भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1187

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

हल्दी में मिलावट

1187. शी टी.एन. प्रथापन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में बच्चों के रक्त में बढ़े हुए सीसे के स्तर का समाधान करने के लिए कोई नीति/योजना/अन्य उपाय हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में हल्दी में मिलावट की जांच और रोकथाम के लिए औषधि और खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण (डीएफक्यूसी) प्रभाग और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार ने देश में सीसा संदूषण के विभिन्न स्रोतों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) प्रयोगशाला सेवाओं की स्थापना सहित जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

जैसा सूचित किया गया है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारत सरकार ने नवंबर 2016 में "घरेलू और सजावटी पेंट **नियम, 2016 में सीसा सामग्री पर विनियमन"** के रूप में

एक अधिसूचना पारित की है और 90 पार्ट प्रति मिलियन (पीपीएम) से अधिक सीसा या सीसा यौगिकों वाले घरेलू और सजावटी पेंट के निर्माण, व्यापार, आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

देश में प्रयुक्त लेड एसिड बैटरियों के संग्रहण, लक्षण वर्णन और पुनर्चक्रण तथा आयात को विनियमित करने के लिए मई, 2001 में बैटरी (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2001 अधिसूचित किए गए थे।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत जनसंख्या विशेषकर बच्चों के लिए स्वस्थ उत्तरजीविता हेतु सूचना, शिक्षा संप्रेषण/व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण (बीसीसी) कार्यकलाप किए जाते हैं।

(ख): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमन, 2011 में हल्दी के मानकों को अधिसूचित किया है। खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 की धारा 31 (1) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति लाइसेंस के बिना कोई भी खाद्य व्यवसाय शुरू या संचालित नहीं करेगा और उन्हें एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना आवश्यक है।

(ग): एफएसएसएआई ने मसालों की सुरक्षा, गुणवत्ता और लेबलिंग आवश्यकताओं का आकलन करने और भारतीय बाजार में मसालों की मिलावट और संदूषण के संवेदनशील स्थान की पहचान करने के लिए मसालों पर अखिल भारतीय निगरानी की। यह सर्वेक्षण 3 और 4 मार्च 2022 को 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चयनित 249 स्थानों पर आयोजित किया गया था। हल्दी के 258 नमूनों (पैक्ड उत्पाद) सहित कुल 3582 नमूने एकत्र किए गए और सभी 258 हल्दी पाउडर नमूनों में लीड क्रोमेट का परीक्षण "नकारात्मक" था।

****